सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 52/18 **निर्णय दिनांकः 3.04.2018**

1. श्रीमती डाली देवी पत्नि टीकूराम
2. महावीर
3. पवनकुमार
4. केशरकुमार

पिसरान टीकूराम जाति सुनार निवासी बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31—03—1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 31—03—1984 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि सील्ड गजट में प्रकाशित कर दी गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पति/पिता को उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 18 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 139/17 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 139/9 में किला नम्बर 1 ता 14 में 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि पूर्व में ही सील्ड बीड आवंटन गजट में प्रकाशित होने से अपीलांट को कब्जा नहीं दिया गया है। नियमानुसार सील्दबीड गजट में प्रकाशित भूमि का सामान्य आवंटन के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता था। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—03—1984 के विरूद्व अपील दिनांक 18—01—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही गजट में अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—03—1984 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 18—01—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 18 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 139/17 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 139/9 के किला नम्बर 1 मा 14 में 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका, क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही खुली बोली हेतु प्रकाशित भूमि थी।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09–05–1984 को अपीलांट के अनकमाण्ड भूमि लेने को तैयार होने की स्थिति में पृथक से आवंटन आदेश जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये साथ ही प्रार्थी को 15 दिवस के भीतर–भीतर कब्जा लेने को पाबन्द किया गया। उक्त आदेश की पालना में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22–05–1984 को कब्जा भी प्रदान कर दिया गया।

(3) अदालत मातहत द्वारा जारी आवंटन आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा निर्धारित 16 किश्तों में जमा योग्य राशि 12320/–में से 8 किश्तें की राशि 5412/– जमा करवाई जा चुकी है। तत्पश्चात् उक्त आवंटन को एसीसी के आदेश क्रमांक 5027 दिनांक 14–12–1990 द्वारा खारिज होना बताया गया है। जबकि उक्त खारिजी आदेश का उल्लेख पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका में अंकन नहीं है, नाही पृथक से ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट/प्रार्थी को सूचित किये बिना की गई है। जिसका उल्लेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

(4) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा वदगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही खुली बिक्री हेतु आरक्षित रकबा है। जिसका आवंटन भूमिहीन के तौर पर अपीलांट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य व एबईनिशियोंवाईड कार्यवाही थी। जब अपीलांट द्वारा भूमिहीन श्रेणी के तहत आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को तत्समय ही सम्पूर्ण जॉच कर भूमिहीन श्रेणी का रकबा आवंटित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच किये ही अपीलांट को खुली बिक्री हेतु आरक्षित रकबें का आवंटन किया गया है जो किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत व तर्क संगत आवंटन की परिभाषा में नहीं आता है।

(5) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत

मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से भूमिहीन/सामान्य श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत द्वारा अपीलांट के भूमिहीन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को खुली बिक्री हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(6) प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को खुली बिक्री हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(7) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने भूमिहीन श्रेणी के आवंटन के हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा एक तरफ तो अपीलांट को अनकमाण्ड भूमि आवंटन के आदेश प्रदान करते हुए कब्जा प्रदान किया जाता है व दूसरी तरफ बिना सक्षम आदेश के अपीलांट का आवंटन खारिज किया जाता है। जबकि तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि अपीलांट को सर्वप्रथम ही भूमिहीन श्रेणी के स्थान पर खुली बिक्री हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वाराएक तरफ तो अपीलांट का आवंटन खारिज कर दिया गया व दूसरी तरफ जहॉ तत्समय ही अदालत मातहत को तथ्यों की जॉच करते हुए अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी का अन्यत्र आवंटन किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट को अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(8) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए

रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को खुली बिक्री हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(9) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में ही खुली बिक्री हेतु आरक्षित भूमि थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट सामान्य श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—03—1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर